97/92 18009/12

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO 25 SEP 2012 TRY. LKO

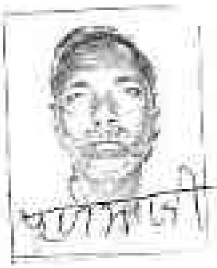

विक्रय अनुबन्ध पत्र

प्रतिफल की धनराशि	–	रु0 5,72,853/–
अग्रिम धनराशि	–	रु0 5,67,853/–
बकाया धनराशि	–	रु0 5,000/–
मालियत	–	रु0 13,91,500/–
अदा किये गये जनरल स्टैम्प	–	रु0 97,500/–

दिनांक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO

25 SEP 2012

TRY. LKO

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनौर
3. ग्राम — बरौना
4. सम्पत्ति का विवरण— भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 0.121 हेक्टेअर, का 1/2 भाग यानी कुल विक्रीत रकबा 0.0605 हे0 स्थित ग्राम–बरौना, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

[illegible]

दिनांक [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 753845

25 SEP 2012

5. मापन की ईकाई — हेक्टेयर

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 0.0605 हेक्टेयर

7. सड़क की स्थिति — सुल्तानपुर रोड से 200 मी0 से अधिक दूर

8. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि

9. पेड़ों की स्थिति — कोई पेड़ नहीं है।

10. बोरिंग / कुआं अन्य— कुछ भी नहीं है।

पूर्णमासी

विनोद कुमार

4913

03-10-12

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] नं०-44

[illegible] की अवधि-31-3-2018

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 753846

25 SEP 2012

- 4 -

चौहद्दी खसरा नं0 143

उत्तर	:	खसरा नं0–137
दक्षिण	:	खसरा नं0–139, 142
पूरब	:	खसरा नं0–144
पश्चिम	:	खसरा नं0–139

फूलमती

विनोद कुमार

4214 03-10-12

[illegible]

[illegible]-44

[illegible]-31-3-2018

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 753847

25 SEP 2012

प्रथम पक्ष की संख्या–1 : द्वितीय पक्ष की संख्या–1

प्रथम पक्ष का विवरण	:	द्वितीय पक्ष का विवरण
पूर्णमासी पुत्र स्व0 सुखई निवासी – बुद्धूखेड़ा, मजरा ग्राम– बरौना परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।	:	विनोद कुमार पुत्र श्री राम बहादुर निवासी–ग्राम बल्ला बरौला, पोस्ट बरूउवा, थाना गुरुबक्सगंज, रायबरेली।
व्यवसाय– कृषि		व्यवसाय– कृषि

पूर्णमासी   विनोद कुमार

4215

03-10-12

विनोद कुमार S/o [illegible]

लाइसेंस नं0-44

लाइसेंस की अवधि-31-3-2018

सिविल कोर्ट [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 753844

25 SEP 2012

यह विक्रय अनुबन्ध पत्र पूर्णमासी पुत्र स्व0 सुखई निवासी – बुद्धखेड़ा, मजरा ग्राम– दरौना परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है (जिसके अन्तर्गत प्रथम पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित हैं)

एवम्

पूर्णमासी

विनोद कुमार

8

क्रम सं. 21960
....03/10/12
....विनोद कुमार द्वारा ...
.... 5000/-
(विक्रेता)
... की तारीख 31.3.2014
...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 753842

25 SEP 2012

विनोद कुमार पुत्र श्री राम बहादुर निवासी–ग्राम बल्ला बरौला, पोस्ट बरूउवा, थाना गुरुबक्सगंज, रायबरेली जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है (जिसके अन्तर्गत द्वितीय पक्ष के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित है) के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि प्रथम पक्ष भूमि खसरा संख्या 143 रकबा 0.121 हेक्टेअर, का 1/2 भाग यानी कुल विक्रीत रकबा 0.0605 हे0 स्थित ग्राम–बरौना,

पूर्णमासी विनोद कुमार

[illegible] २१९.६१

[illegible] ०३/१०/१२

[illegible] विनोद कुमार [illegible]

[illegible] 5200/-

[illegible]

कार्यालय [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 753843

25 SEP 2012

परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी संख्या 00617 के अनुसार भूमि प्रथम पक्ष के नाम राजस्व अभिलेखों में बतौर असंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। प्रथम पक्ष अपना सम्पूर्ण हिस्सा द्वितीय पक्ष को इस विक्रय अनुबन्ध पत्र द्वारा विक्रय कर रहा है। प्रथम पक्ष उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि प्रथम पक्ष यह घोषित

कुलिमाती विनोद कुमार

[illegible] 21962
[illegible] 03/10/12
[illegible]
[illegible]
[illegible] (বিক্রেতা)
[illegible] 31.12.2014

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AO 753841

25 SEP 2012

करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा प्रथम पक्ष ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। प्रथम पक्ष ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार प्रथम पक्ष व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के

[illegible] .... [illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible] .... [illegible]

[illegible] ....

[illegible] .... [illegible]

[illegible] तिवारी

[illegible] 25[illegible]

[illegible] 31-3-2014

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 753849

25 SEP 2012

अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। प्रथम पक्ष के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं प्रथम पक्ष को उक्त अनुबन्ध करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 5,72,853/— (रू0 पांच लाख बहत्तर हजार पाँच सौ तिरासी मात्र) के प्रतिफल में द्वितीय पक्ष को विक्रय करना तय किया है जिसमें से बतौर अग्रिम धनराशि रू0 5,67,853/— (रू0

[illegible] 9/10/18

[illegible]

[illegible] 227, [illegible]

[illegible]-2018

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

भारत

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 753839

25 SEP 2012

पांच लाख सड़सठ हजार पांच सौ तिरासी मात्र) प्रथम पक्ष ने प्राप्त कर लिया है जिसका उपरोक्त द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को प्रथम पक्ष यहाँ स्वीकार करता है, तथा प्रथम पक्ष स्वयं को संक्रमणीय भूमिधर दर्ज करा कर व सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से विक्रय अनुमति प्राप्त करके द्वितीय पक्ष को लिखित सूचना देगा तथा सूचना प्राप्त होने से तीन माह के अन्दर

21-3-2014

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 457273

शेष बकाया धनराशि रू0 5,000/-(रू0 पाँच हजार मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त करके द्वितीय पक्ष के पक्ष में विक्रय विलेख अवश्य निष्पादित कर देगा तथा कोई हीलाहवाली या बहानेबाजी नही करेगा। ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह जरिये अदालत विक्रय विलेख निष्पादित करवा ले।

यह कि प्रथम पक्ष द्वारा विक्रीत भूमि का कब्जा इस अनुबन्ध पत्र द्वारा द्वितीय पक्ष को दिया जा रहा है।

[illegible]

1400 [illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 457274

यह कि अब उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है।

यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग प्रथम पक्ष के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण द्वितीय पक्ष या उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो द्वितीय पक्ष उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त

पूर्णमासी

किशोर कुमार

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

R 885761

नुकसान मय हर्जा व खर्चा, प्रथम पक्ष की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में प्रथम पक्ष एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि प्रथम पक्ष यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है। यह कि इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह

विक्रय अनुबंध विलेख (कब्जा)

572,507.00	1,392,000.00	367,833.00	10,000.00	20	10,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	अग्रिम धनराशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री पूर्णमासी
पुत्र श्री साईं सुखई
व्यवसाय कृषि
निवासी स्थायी पुदुखेड़ा करौना लखनऊ
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 3/10/2012 समय 3:10PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
श्री [illegible] सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
3/10/2012

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री पूर्णमासी
पुत्र श्री साईं सुखई
पेशा कृषि
निवासी पुदुखेड़ा करौना लखनऊ

क्रेता

श्री विनोद कुमार
पुत्र श्री राम बहादुर
पेशा कृषि
निवासी ग्राम [illegible] मुहम्मदाबाद [illegible] जिला रायबरेली

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री रामजी
पुत्र श्री श्रीकृष्ण
पेशा व्यापार
निवासी [illegible] कठौता लखनऊ
व श्री पंकज पाठक
पुत्र श्री हरिशंकर पाठक
पेशा व्यापार
निवासी आलमबाग लखनऊ
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गए हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
बी. सी. [illegible] सिंह
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
3/10/2012

का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको प्रथम पक्ष भुगतान व वहन करेंगे, प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम बरौना अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है चूंकि भूमि पांच बिसवे से कम है इसलिए निर्धारित आवासीय सरकिल रेट रु0 2,300/- प्रति वर्गमीटर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.0605 हे0 की मालियत रु 13,91,500 /- होती है चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से कम है इसलिए नियमानुसार बाजारू मूल्य पर ही रु0 97,500/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय अनुबन्ध पत्र के निबन्धन का समस्त व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

1. प्रथम पक्ष को 5,87,853/- द्वारा चेक संख्या- 918241 दिनांकित 3/10/12 पंजाब नेशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए।

पूर्णमासी

विनोद कुमार

विक्रेता

Registration No. 18009 Year 2,012 Book No. 1

0101 पूर्णमासी

स्व0 बुद्धई

कुड़ऊंसा [illegible] लखनऊ

कृषि

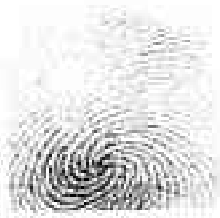

इस प्रकार प्रथम पक्ष को अंतिम मूल्य रू0 5,67,853/- (रू0 पांच लाख सड़सठ हजार पांच सौ तिरासी मात्र) द्वितीय पक्ष से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

लखनऊ:

दिनांक : 03.10.2012

गवाह :

1. प्रथम पक्ष

2. द्वितीय पक्ष

टाईपकर्ता
(लवलेश सिंह)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता
(वेंकट रमन सिंह)
एडवोकेट
सिविल कोर्ट लखनऊ

क्रेता

Registration No. : 18009 Year : 2012 Book No. : 1

0201 विनोद कुमार

[illegible]

[illegible]

कृषि

ग्राम का नाम → अठौना

विक्रेता → पूर्णमासी

क्रेता → विनोद कुमार

खसरा नं० → 143

विक्रीत रकबा — 0.0605 हे०

विक्रीत नक्शा

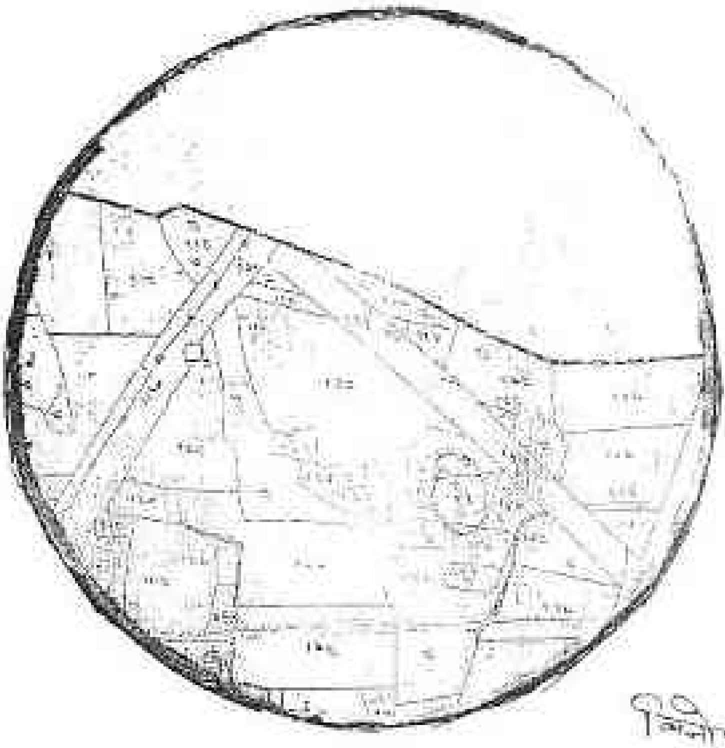

विनोद कुमार
क्रेता

विक्रेता
पूर्णमासी

आज दिनांक **03/10/2012** को

बही सं **1** जिल्द सं **14796**

पृष्ठ सं **59** से **92** पर क्रमांक **18009**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

बी सी [illegible]

उप-निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

3/10/2012